सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No: NCST/DEV-884/JH/15/2022-ESDW-RU-IV

Dated:- 30.04.2025

To,

The Deputy Commissioner,
District - Ramgarh,
DC Office, Ramgarh,
Jharkhand State Highway 2,
Ramgarh Cantonment,
Jharkhand 829122
Email-dc-ramgarh@gov.in

The Chairman-cum-Managing Director
Central Coalfields Limited (CCL)
Darbhanga House, Kutchery Road,
Ranchi-834029, Jharkhand
E.mail: cmd.ccl.cil@coalindia.i n

Sub:- Representation of Shri Subhash Bedia, District – Ramgarh, Jharkhand regarding land grabbing by making wrong Bandobast and alienation of common land of villagers.

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of the Minutes of the sitting held on 17.04.2025 under the Chairmanship of Dr. Asha Lakra, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes on the above mentioned subject for necessary action.

It is requested that compliance report in the matter on the recommendation may be furnished to this Commission within 15 days positively for placing the same before the Hon'ble Commission.

Encl: as above

Yours faithfully

(एच.आर .मीना/H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
Email ID : rahul.1424@ncst.nic.in

Copy to:

Shri Subhash Bedia,
Gram-Chapri,
Post-Badkachumba,
P,S-Gidwi,
District-Ramgarh (Jharkhand),
Mob No-9955747102.

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल संख्या-NCST/DEV-884/JH/15/2022-ESDW

श्री सुभाष बेदिया, ग्राम – चपरी, पोस्ट – बडकाचुम्बा , थाना – गिद्दी(ए), जिला – रामगढ़, झारखण्ड (मो. 9955747102) के अभ्यावेदन के सम्बन्ध में दिनांक 17.04.2025 को आयोग मुख्यालय में आयोग की माननीय सदस्य (डॉ आशा लकड़ा) की अध्यक्षता में हुई सिटिंग/ सुनवाई का कार्यवृत।

सिटिंग/ सुनवाई की दिनांक	:	17.04.2025
सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी	:	**अनुलग्नक-I** के अनुसार।

यह शिकायत दिनांक 20.04.2022 श्री सुभाष बेदिया से आयोग को प्राप्त हुई जिसमे उन्होंने बताया कि चपरी गांव में गैरमजरूआ भूमि पर गांव के पूर्वजों ने सामूहिक रूप से पशुओं का चारागाह, तालाब, देवशाली सरना स्थल, स्कूल, खेल का मैदान, और सार्वजनिक उपयोग के लिए जमीनों का उपयोग किया है। हालांकि, विभिन्न गांवों के भू-माफिया, जो चपरी गांव में निवास नहीं करते और जिनका इन जमीनों पर कोई दखल नहीं है, ने इन जमीनों को हड़पने की कोशिश की है। इन भू-माफिया में रामकुमार साव, मोती हजाम, सोमर राम, जोगा मांझी, और अन्य व्यक्ति शामिल हैं। अतः शिकायतकर्ता ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि उक्त जमीनों की तत्काल जांच की जाए और रसीद काटने पर रोक लगाते हुए बंदोबस्ती को रद्द किया जाए, ताकि आदिवासियों के भूमि अधिकारों का संरक्षण किया जा सके।

2. आयोग द्वारा मामले में 07.11.2022 को उपायुक्त, जिला रामगढ़, झारखंड को नोटिस भेजा गया।

3. आयोग को दिनांक 12.12.2024 को उपायुक्त, रामगढ़, झारखंड से उत्तर प्राप्त हुआ, जिसमें उल्लेख किया गया कि उपरोक्त विषयक पत्र के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई थी। जाँचोपरांत, उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि मौजा- चपरी, खाता संख्या- 20, प्लॉट संख्या- 214, 530, 611, 624 एवं अन्य सर्वे खतियान में गैरमजरूआ खास दर्ज है। पंजी-II में शहजादा अकरम (जमाबंदी रैयत), मुमताज अंसारी, परमेश्वर प्रसाद महतो, संतोष राम बरई, जगन साव, कन्हाई कुमार बेलथरिया सहित अब्दुल नईम खा, गजो मियां, लालजी राम बरई, सुरजन महतो, जगन साव, परमानंद बेलथरिया के नाम पर जमाबंदी दर्ज है। अंचल कार्यालय, मांडू द्वारा जमाबंदी रैयतों के वंशजों को नोटिस निर्गत कर दस्तावेज की माँग की गई थी, जिसमें केवल छः (06) वंशजों ने अपने दस्तावेज प्रस्तुत किए। राजस्व कागजातों से इन दस्तावेजों की जाँच करने के उपरांत, बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 4(h) के तहत जमाबंदी रद्द करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है, और इस संबंध में आवश्यक अभिलेख तैयार किए जा रहे हैं।

4. इस मामले में दिनांक 27.12.2024 को भी सुनवाई मे की गई थी।

आशा लकड़ा
डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

5. दिनांक 17.04.2025 को आयोग मुख्यालय में सुनवाई दौरान CCL के पदाधिकारी उपस्थित रहे एंव उपायुक्त रामगढ व् प्रार्थी अनुपस्थित रहे।

6. Central Coalfields Limited (CCL) के पदाधिकारियों ने सुनवाई के दौरान अवगत कराया की जिस समय जिला प्रशासन प्रशन्नगत भूमि का ब्यौरा CCL को उपलब्ध करा देंगे तभी मामले में आगे की कार्यवाही की जाएगी अत इस मामले में आगे की कार्यवाही से CCL को मुक्त किया जाए।

7. मामले की सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती है :-
    1. इस मामले में आगे की कार्यवाही से CCL को मुक्त किया जाता है।
    2. इस मामले में उपायुक्त रामगढ को पूर्व में भी दो बार सुनवाई हेतु नोटिस भेजा चूका है जोकि उनके द्वारा बार बार बिना सूचना दिए हुए उसका अनदेखा किया गया है जिससे आयोग का व् CCL के पदाधिकारियों का समय ख़राब हुआ है जिसे गंभीरता से लेते हुए आयोग मुख्यालय द्वारा आयोग की कार्यप्रणाली अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाए

आशा लकड़ा
22/04/2025

(डॉ आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा / Dr. Asha Lakra
सदस्य / Member
भारत सरकार / Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली / New Delhi

[N]ATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

(File No. NCST/DEV-884/JH/15/2022-ESDW)

ATTENDANCE SHEET

Sub: Sitting to be held on 17.04.2025 at 11:40 A.M. in the case of Shri Subhash Bedia, District-Ramgarh, Jharkhand regarding grabbing of land by making wrong bandobast and alienation of common land of villagers.

Sr. No.	Department	Contact details	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra, Hon'ble Member		**In Chair**
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav, Deputy Secretary		
3.	Shri H. R. Meena, Research Officer		
4.	Shri Rahul, Investigator		
5.	Shri Rahul Yadav, Consultant (Legal)		
II	**जिला-रामगढ़, झारखंड**		
1.			
2.			
III	**सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड,रांची, झारखंड**		
1.	नवनीत कुमार महाप्रबंधक (भाक/औ.सं)	8987785495	[signature] 17/04/2025
2.	Navnit Jha CM(M) L&R	8770941856	[signature] 17/04/2
IV	**अभ्यावेदक**		
1.			
2.			